कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 854 /12–1 दिनांक 30/ 09 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, चम्बा टिहरी गढवाल।

विषय :– बनाली ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–2319/418/14 दिनांक 31–08–2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटरमार्ग पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–216/X–3–22/2(07)/2022 दिनांक 16–03–2022 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। आपके कार्यालय के पत्रांक–2318/418/13 दिनांक 31.08.2022 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या में वांछित धनराशि जमा कर शर्तो की हॉर्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–828/12–1 दिनांक 29–09–2022 से वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रेषित की गयी है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शासनादेश संख्या–F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक 26–09–2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–941/X-4/18/1-05(04)/2014, दिनांक 26–09–2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा–11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में बनाली ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि में कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है :–

1. यह अनुमति विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा अनुमति जारी होने के 01 वर्ष तक जो पहले हो तक ही वैध है।
2. विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना में किसी भी वृक्ष का छपान/पातन नही किया जायेगा।
4. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य श्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
6. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
7. परियोजना निर्माण से उत्तसर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो/उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

10. सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः–854 /12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीरकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 854 /12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनिकीरेती।
2. वन क्षेत्राधिकारी,सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि यह अनुमति विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा अनुमति जारी होने के 01 वर्ष तक जो पहले हो तक ही वैध है अतः वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति न होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करेंगे।

ITGL
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
DCF
3/10/22

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।